बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 22.08.2015

आसन्न बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 की तैयारियों के क्रम में आज दिनांक 22.08.2015 को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के लिए निर्वाचन के संचालन से संबंधित विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की शुरूआत राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अजय नायक द्वारा की गयी। इस अवसर पर श्री अरविन्द कुमार चौधरी एवं श्री आर0 लक्ष्मणन, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के अतिरिक्त मुख्यालय के अन्य पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन के संचालन से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला में विधि–व्यवस्था एवं सुरक्षा योजना के संबंध में उपस्थित सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर सभी निरोधात्मक कार्रवाई करने, गैर जमानती वारंटों के निष्पादन, शांतिपूर्ण मतदान हेतु निरोधात्मक कार्रवाई करने, Vulnerability Mapping की कार्रवाई पूर्ण करने, सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा से लगने वाले राज्यों/देश के संबंधित जिलों के साथ समन्वय बैठक आयोजित करने एवं अवैध शराब तथा शस्त्रों के विरूद्ध अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया।

इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन के दौरान मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के लिए की जाने वाली कार्रवाई, निर्वाचक सूची और इसके सतत् अद्यतीकरण, मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने, नामांकन, संवीक्षा, प्रतीक चिन्ह का आवंटन, ई0वी0एम0, वी0वी0पैट, मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप से संबंधित कार्य, निर्वाचन व्यय अनुश्रवण, पेड न्यूज, जन शिकायत एवं विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों का ऑनलाईन प्रेषण से संबंधित विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गयी तथा उनकी शंकाओं का समाधान किया गया तथा ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट का व्यवहारिक प्रशिक्षण/जानकारी भी प्रदान किया गया।

उपस्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के क्रम में निदेश दिया गया कि यदि उनके संज्ञान में किसी योग्य व्यक्ति का नाम छूट गया है अथवा किसी निर्वाचक के

नाम विलोपित हो गया है तो ऐसे व्यक्तियों का नाम जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त करने तथा उसे नियमानुसार कार्रवाई हेतु निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाये। यह भी निदेश दिया गया कि यदि किसी निर्वाचक का नाम बगैर निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये निर्वाचक सूची से विलोपित कर दिया गया है तो जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाये। इसके अतिरिक्त मतदान के पूर्व मॉक पॉल का डाटा डिलीट करने के संबंध में जिला स्तर पर आयोजित सभी प्रशिक्षणों में विशेष रूप से जानकारी देने, अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की शंकाओं के समाधान के लिए प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में एक ए0आर0ओ0 को नामित करने, मतदाता पहचान पत्रों का शत–प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने, पेड न्यूज को नियंत्रित करने तथा आदर्श आचार संहिता को समान एवं पारदर्शी तरीके से लागू करने का निदेश दिया गया।

निर्वाचन में गैरकानूनी व्यय को नियंत्रित करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के निदेशों की जानकारी उपलब्ध कराते हुए आयकर विभाग, पुलिस, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सी0आई0एस0एफ0, रेलवे एवं बैंक द्वारा इस निर्वाचन के लिए की जा रही कार्रवाईयों की जानकारी दी गयी तथा बताया गया कि आयकर विभाग द्वारा पटना सहित बिहार के अन्य सीमावर्ती राज्यों के हवाई अड्डों की निगरानी की जायेगी, रेल पुलिस द्वारा राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशनों, उत्पाद विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख चेकपोस्टों, बॉटलिंग प्लांट आदि की 24 X 7 सी0सी0टी0वी0 से निगरानी की जायेगी। उपस्थित सभी जिलाधिकारियों को जिलों के हेल्पलाईन नंबर, निर्वाचन व्यय के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं नंबर, आयकर विभाग के नंबर का विस्तृत प्रचार–प्रसार करने तथा प्राप्त किसी भी शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

****